धारा-8. निबन्धन प्रमाण पत्र -(1) यदि कोई समिति, इस अधिनियम के अधीन निबन्धित हो अथवा धारा 7 की उप धारा(1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन निबन्धित समझी जाये तो निबन्धक अपने हस्ताक्षर युक्त निबन्धन प्रमाण-पत्र जारी करेगा। जब तक यह प्रमाणित न हो जाये कि निबन्धन रदद कर दिया गया है तब तक उक्त प्रमाण-पत्र इस बात का निश्चायक प्रमाण-पत्र होगा कि उसमें उल्लिखित समिति इस अधिनियम के अधीन यथाविधि निबन्धित सहकारी समिति है।

(2) कोई व्यक्ति या समिति किसी सहकारी समिति के नाम से या अपने को सहकारी समिति व्यक्त करते हुए तब तक कारोबार प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक समिति के लिए उपधारा (1) के अधीन निबन्धन प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया गया हो, तथा प्रत्येक व्यक्ति या समिति का सदस्य, जो इस उपधारा का उल्लंघन करके कारोबार करे, उक्त कारोबार में उपगत समस्त दायित्वों का व्यक्तिगत रूप से भागी होगा।